Letter No.: NGT-44/81-7-2021-44(Writ)/2016

From,

Ashish Tiwari,
Special Secretary,
Environment, Forest & Climate Change,
Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest & Climate Change Section-7

Dated: 29 January, 2021

Sub: Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 07.08.2020 in the matter of O.A. No. 231/2014 & 66/2015; in the matter of DOABA Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. and Ors.

Sir,

In compliance of order dated 07.08.2020 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 231/2014 & 66/2015; in the matter of DOABA Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. and Ors., the consolidated Compliance Report of the State of Uttar Pradesh is enclosed and being submitted by the undersigned with due approval of the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh.

It is requested that the consolidated Compliance Report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours sincerely,

Encl: As above.

(Ashish Tiwari)
Special Secretary

Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 07.08.2020 in the matter of O.A. No. 231/2014 & 66/2015 DOABA Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. and Ors.

1. The captioned matter was last considered by Hon'ble National Green Tribunal on 07.08.2020 in the light of the earlier proceedings, Compliance reports submitted by the State of Uttar Pradesh and the report of the Oversight Committee.

2. That Hon'ble NGT has passed an order dated 07.08.2020 directing the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to ensure submission of consolidated compliance report before the next date and to ensure compliance on the issues of Piped Water Supply (PWS) in remaining affected villages, supply of safe drinking water till PWS is installed, construction of Sewage Treatment Plants, interim treatment of untapped drains, recovery of Environmental Compensation etc. The operative part of the order dated 07-08-2020 is reproduced below :

   "……On due consideration, we accept the recommendations of the Oversight Committee and direct the Chief Secretary, U.P. to ensure compliance of thereof. It will be appropriate that the Chief Secretary ensures filing of a consolidated reply instead of separate representation and separate replies by different Departments of the State. A unified approach in matters of this nature is necessary so that shifting of blame from one Department to the other can be avoided. The Oversight Committee may also file its further report before the next date. River Hindon is one of

351 polluted river stretches and steps have to be taken for restoration of water quality in terms of orders of this Tribunal in OA 673/18 by executing the action plan already prepared on the subject in a time-bound manner. EC has to be recovered if deadlines are not adhered to. The action plans inter alia require interception of drains to destined STPs, adoption of insitu remedial measures in intermediary phase, utilisation of treated sewage, demarcation and regulation of flood plain zone. River Hindon joins Yamuna which then joins Ganga. Still, no meaningful actions are being taken for years together. The river is practically dead and needs to be restored in the interest of the environment and public health. Meaningful progress must be achieved by the concerned departments including the Urban Development, Irrigation, the Jal Nigam, and the Environment. All drains joining Kali, Krishni and Hindon should have in situ remediation and plan for connectivity with the identified STP. The Chief Secretary may ensure that there is coordination among all the concerned Departments in accordance with the action plan."

3. That it is submitted that in compliance to Hon'ble Tribunal order dated 07-08-2020, the Chief Secretary, Government of UP has issued directions vide letter dated 28-10-2020 to Urban Development, Irrigation and Water Resources, Medical-Health, Family Welfare Department and UP Jal Nigam for ensuring compliance of directions of Hon'ble Tribunal in the matter. The responsible officers of the concerned departments were directed to put up updated compliance reports to Department of Environment, Forest and Climate Change and to Uttar Pradesh Pollution Control

Board (UPPCB). The copy of the letter dated 28.10.2020 is annexed herewith and marked as **Annexure No.-1**.

4. That it is submitted that the Chief Secretary, Government of UP has reviewed the status of compliances of the directions passed vide order dated 07.08.2020 and also the recommendations of the Oversight Committee dated 30.07.2020 on 02.12.2020 with Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries and other officers of concerned departments for ensuring timely actions according to the directions of Hon'ble Tribunal. The minutes of meeting dated 02.12.2020 is annexed herewith and marked as **Annexure No.-2**.

5. The consolidated status of compliance of directions issued by Hon'ble National Green Tribunal in tabular form is as below:-

Sl. No.	Issues/ Directions	Status
1.	Progress of piped water supply in 148 villages of the area.	All 147 villages have been covered with piped water supply completely by direct pumping. Harra Town Area Committee (TAC) is also covered partially by piped water supply by direct Pumping and rest of the work is under progress. Harra TAC will be fully covered by direct pumping by 31-03-2021. **Note:-** In 23 Villages water supply is being done through direct pumping by DG Sets as power connection is under progress by power supply agency.

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Issues/ Directions</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>Status of tapping of drains.</td><td>From Saharanpur to Ghaziabad drains from Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Ghaziabad & Gautambudh Nagar meets in River Hindon where as drains from Meerut meets in Kali-East and drains from Baghpat meets in River Yamuna. The treatment of drains in Gautambudh Nagar is in Jurisdiction of Noida Authority. Thus, in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli and Ghaziabad there are total 133 drains present in the stretch of Hindon. The Status of I & D of these drains is as follows:
<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Description</th><th>No.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Tapped Drain</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Partially tapped</td><td>05</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Not required tapping</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Industrial Drain</td><td>03</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub-Total</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Untapped Drains Status</td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>To be taped in on-going project</td><td>11</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>To be tapped in PFR/DPR submitted for approval to SMCG/NMCG.</td><td>102</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub-Total</td><td>113</td></tr>
<tr><td></td><td>Grand Total</td><td>133</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Bioremediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains for the treatment of sewage gap in river Hindon and Imposition of EC on untapped drains.</td><td>In Saharanpur, Bioremediation/phyto remediation is being done on 02 drains over a total stretch 76 km.
In Muzaffarnagar & Shamli bioremediation of drains has not been initiated.
In compliance of the earlier order Environmental Compensation of Rs. 5.0 Lakh per drain/month on 29 drains situated in the catchment of Hindon River has been imposed by UPPCB vide letter no. G 32922/C-4/RRC-II/2020 dated-16.06.2020 from July, 2020 onwards.</td></tr>
</table>

Sl. No.	Issues/ Directions	Status
4.	Status of installation of STPs in Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur.	In Muzaffarnagar and Budhana STPs works are under progress (overall progress 5% each). Likely to be completed by June, 2022. DPR for I&D and STP works at Saharanpur was submitted to NMCG, New Delhi vide letter no. 556/06-612T/SMCG-UP/01 dated 08-06-2020. Observation on DPR were received from NMCG vide their letter no. Pr/22012/8/2020-Tech Construction NMCG dated 15-12-2020. The DPR is being revised by WAPCOS (appointed by NMCG) and is likely to be submitted by 28-02-2021 after incorporating the raised observations.
5.	Status of EC imposed and realised till date from the defaulting units in the area.	Rs. 4.14 Crore has been recovered against Environmental Compensation of Rs. 11.32 Crore imposed by UPPCB on 243 defaulting industries till now. Procedure for recovery of arrears of Environmental Compensation is to be done by way of attachment of properties, which is under progress.

6. That it is submitted that the updated compliance report of Uttar Pradesh Jal Nigam regarding piped water supply to the affected villages, status of tapped/untapped drains and status of STP installation in Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur is annexed herewith and marked as **Annexure No.-3**.

7. That it is submitted that Chief Secretary, Government of UP has also reviewed Bio-remediation work of drains situated in the catchment of River Hindon. In Saharanpur, Bioremediation/phyto-

remediation is being done on 02 drains over a total stretch 76 km. In Muzaffarnagar & Shamli bioremediation of drains has not been initiated. In compliance of the earlier order Environmental Compensation of Rs. 5.0 Lakh per drain/month on 29 drains situated in the catchment of Hindon River has been imposed vide letter vide letter no G 32922/C-4/RRC-II/2020 dated-16.06.2020 from July, 2020 onwards. Copy of the letter dated 16-06-2020 is annexed herewith and marked as **Annexure-4**.

8. That it is submitted that the Uttar Pradesh Pollution Control Board has informed that Environmental Compensation of Rs. 11.32 Crore has been imposed against 243 defaulting water pollution industries /institutions and out of which Rs. 4.14 Crore has been recovered till 25-01-2021 in the catchment of River Hindon. It was further informed by the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board that the UPPCB is issuing the show cause notices against the defaulters for the payment of Environmental Compensation and the Consent to Operate shall be withdrawn in case the Environmental Compensation is not deposited. Environmental Compensation is to be recovered following the procedure for recovery of arrears of land revenue by way of attachment of properties. The Chief Secretary, Government of UP reviewed the progress of recovery of Environmental Compensation and has directed Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board to speed up recovery of Environmental Compensation by way of attachment of properties of the concerned industries/agencies with the help of concerned District Magistrates.

9. That it is further submitted that Government of Uttar Pradesh is committed towards keeping River Hindon pollution free by ensuring compliance of action plan and orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 29 January, 2021

(Ashish Tiwari)
Special Secretary,
Environment, Forest & Climate Change
Government of Uttar Pradesh

File No.81-7005(099)/246/2020-07-, **Annexure-I**

पत्रांक 1667/815 / एन एस कैम्प/20

दिनांक 29/10/20 .....

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7

संख्या–एन.जी.टी.–550/81–7–2020–44(रिट)/2016

लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2020

प्रमुख सचिव,

नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

उ०प्र० शासन।

मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या–231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.08.2020 को पारित आदेश के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के पत्र संख्या–एन०जी०टी०– 431/81–7–2020–44(रिट)/2016, दिनांक 24.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 का प्रस्तर–5 निम्नवत् है :–

5 -"VII. **RECOMMENDATIONS OF OVERSIGHT COMMITTEE**

1. Despite repeated directions by Hon'ble NGT and this Committee, U.P Jal Nigam has not ensured piped water supply in 148 affected villages. Till date, piped water supply has been ensured only in 45 villages. In July 2019, this figure was 41 villages. Thus only 4 villages have been provided piped water in one year's time. There has been no physical progress in installation of any of three STPs proposed in the last one year. No action has been taken against any negligent officer despite directions of Hon'ble NGT. Performance Guarantee of Rs 5 Crore directed by Hon'ble NGT on 15.3.19 has yet to be deposited. Not a single village has been provided water through tankers till now despite written assurance to NGT by Chief Secretary on 20.10.19. In fact now ACS Panchayati Raj has informed that in view of handpumps working in these villages there is no need of water supply through tankers. Such gross negligence in fulfilling the basic needs of the citizens is not acceptable and punishable. The Committee recommends that Chief Secretary shall ensure that:

a) Work on pipe water supply project in balance 103 villages is expedited so that it is complete by 31st December 2020

b) Till then ensure clean drinking water in these localities where contaminated water was reported by tankers or such means as he deems fit. The quality of water of all such sources may be tested through independent laboratories.

c) Ensure furnishing of performance Guarantee of Rs 5 Crore as directed earlier by NGT within 15 days. This PG would be forfeited in case of default of timelines.

d) Ensure commencement of the installation of the 2 STPs in the next one month by expediting the processes and the third STP by

CEO (C-1)/10 28/10/2020

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

increased follow up with NMCG in next 2 months

e) Jal Nigam has been extending timelines regularly without achieving any physical progress. Delay in DPRs, delay in tendering and other procedural delays are adduced in every meeting. NGT had already directed that action be taken against erring officials. Chief Secretary should take action against erring officers within a month and inform NGT about it.

2. Chief Secretary had assured NGT on 20.10.19 in his written report that till pipe water supply is provided, water will be provided by tankers. Bio Remediation work will start from November, 2019. Performance Guarantee of Rs 5 Crore has been directed to be furnished. Action against defaulting officers is being taken. Unfortunately, none of these averments have been implemented. These are issues which could easily have been monitored in the monthly monitoring meeting of the Chief Secretary as envisaged in the monitoring framework submitted by the State to the NGT. Chief Secretary should hold the monthly monitoring meeting regularly so that such issues get sorted out regularly.

3. No bioremediation/ phytoremediation of drains has taken place in Muzaffarnagar and Saharanpur as well as in other districts of the region. NGT had directed that an EC of 5 Lakh per drain per month has to be imposed if the work does not commence till 31.3.2020.CPCB may calculate the EC and issue notices to the concerned ULBs in the next 15 days.

4. UPPCB shall ensure recovery of remaining amount (Rs.5.7cr.) imposed as Environmental Compensation on 230 defaulting units within a month. In case of nonpayment, UPPCB shall initiate recovery of these dues as arrears of land revenue.

6. On due consideration, we accept the recommendations of the Oversight Committee and direct the Chief Secretary, U.P. to ensure 9 compliance of thereof. It will be appropriate that the Chief Secretary ensures filing of a consolidated reply instead of separate representation and separate replies by different Departments of the State. A unified approach in matters of this nature is necessary so that shifting of blame from one Department to the other can be avoided. The Oversight Committee may also file its further report before the next date. River Hindon is one of 351 polluted river stretches and steps have to be taken for restoration of water quality in terms of orders of this Tribunal in OA 673/18 by executing the action plan already prepared on the subject in a time-bound manner. EC has to be recovered if deadlines are not adhered to. The action plans inter alia require interception of drains to destined STPs, adoption of insitu remedial measures in intermediary phase, utilisation of treated sewage, demarcation and regulation of flood plain zone. River Hindon joins Yamuna which then joins Ganga. Still, no meaningful actions are being taken for years together. The river is practically dead and needs to be restored in the interest of the environment and public health. Meaningful progress must be achieved by the concerned departments including the Urban Development, Irrigation, the Jal Nigam, and the Environment. All drains joining Kali, Krishni and Hindon

should have in situ remediation and plan for connectivity with the identified STP. The Chief Secretary may ensure that there is coordination among all the concerned Departments in accordance with the action plan."

3— उक्त के अनुक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2020 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 07.08.2020 के अनुपालन में मा0 ओवरसाईट कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप अपने से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक अनुपालन पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है।

4— अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 07.08.2020 के अनुपालन में संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को (ई–मेल ms@uppcb.com, ceo1@uppcb.com) पर दिनांक 31.10.2020 तक प्रेषित करें, ताकि समेकित अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

Digitally signed by
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या–एन.जी.टी.–550(1)/81–7–2020–44(रिट)/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित बिन्दु संख्या–4 पर अनुपालन पूर्ण कराकर संकलित अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Annexure-2

File No.81-7005(099)/245/2020-07-,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों, जिनमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेश के अनुश्रवण हेतु निर्देश जारी हैं, में अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे वीडिया कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में लम्बित विभिन्न वादों में, पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा माननीय न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशो के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है तथा समय पर अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय अथवा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मुख्य सचिव को अनुपालन के लिये निर्देशित किया जाता है, तो इसमें विभाग की लापरवाही का संज्ञान लेकर उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालयों/एन0जी0टी0 मे प्रचलित महत्वपूर्ण वादों में पैरवी का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाय। प्रकरणवार हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :—

1— **ओ0ए0 सं0–231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्यः**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन, दोषी उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली, परफार्मेंस गारण्टी, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही आदि हैं।

प्रभावित सभी 148 गॉवों में पाईप्ड वाटर सप्लाई के संबंध में अनुपालन की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि 103 ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 44 ग्रामों एवं 1 हर्रा टाउन एरिया कमेटी में कार्य प्रगति पर है, जोकि 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर तक की प्रगति आख्या प्रेषित की जा चुकी है तथा अद्यतन प्रगति आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

03 एस0टी0पी0 (मुजफ्फरनगर–22 एम0एल0डी0, बुढ़ाना–10 एम0एल0डी0 एवं सहारनपुर–93.6 एम0एल0डी0) की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया कि बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में टेण्डर फाईनल किए जा चुके हैं तथा मुजफ्फरनगर में बाउण्ड्रीवाल की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस0टी0पी0 की डी0पी0आर0 एन0एमसीजी में अनुमोदन हेतु लम्बित है। बैठक के दौरान सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस0टी0पी0 के शीघ्र अनुमोदन हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एन0एम0सी0जी0) को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायोरेमिडिएशन के बिन्दु पर नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विमर्श कर लिया गया है तथा कुछ स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिन स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, उनका विवरण प्रेषित करते हुए टाईमलाइन बढ़ाए जाने तथा ड्रेन्स पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के मा0 एन0जी0टी0 के फैसले पर पुनर्विचार हेतु

मा0 एन0जी0टी0 में अपील दाखिल की जाएगी।

प्रदूषणकारी उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 9.4 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके विरूद्ध रूपये 3.75 की धनराशि की रिकवरी की जा चुकी है। डिफाल्टर उद्योगों के विरूद्ध भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा–प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन आदि को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों/परफारमेंस गारण्टी पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने के संबंध में आख्या तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

2. **ओ0ए0 सं0–06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं ओ0ए0 संख्या– 648/2019 मै0 हिण्डन रिर्जोट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.09.2019 एवं 05.03.2020 को जारी आदेशों में मुख्य रूप से शार्ट टर्म एवं लांग टर्म एक्शन प्लान की प्रगति, कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0 के संचालन, एस0टी0पी0 की स्थापना/अपग्रेडेशन की स्थिति, सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टेटस ऑफ बायो–रेमिडिएशन, आन लाइन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण को रोके जाने, ई0टी0पी0/एस0टी0पी0 के सुचारू रूप से संचालन, यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर यू0पी0 पार्ट के रिजुविनेशन आदि बिन्दु आच्छादित हैं।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार साहिबाबाद ड्रेन का फ्लो मापन के उपरान्त 90 एम0एल0डी0 पाया गया है, थर्ड पार्टी से Flow measurement हेतु दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

इन्दिरापुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन के इन्टरसेप्शन/डायवर्जन के उपरान्त उक्त के शोधन हेतु 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिस हेतु डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में प्रेषित की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष में उक्त कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है।

इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कुल 8 एस0टी0पी0 हैं, जिनमें 56 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एसटी0पी0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 70, 56, 56 एवं 74 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 उ0प्र0 जल निगम, जिनके संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है तथा 30 एमएलडी एस0टी0पी0 लोनी, जिसका संचालन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है, स्थापित हैं। उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्दिरापुरम में स्थापित 03 एस0टी0पी0 (56, 56, 74) एमएलडी कुल क्षमता–186 एम0एल0डी0 के संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है। पाईप लाइन आदि की मरम्मत का कार्य नवम्बर, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। वर्तमान में 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के renovation का कार्य पूर्ण हो

2–

चुका है, एवं उक्त एस0टी0पी0 मानकों की प्राप्ति कर रहा है। 70 एम0एल0डी0, 56 एम0एल0डी0 एवं 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (लोनी) के renovation का कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त 32 के0एल0डी एफ0एस0टी0पी0 लोनी में तथा 50 के0एल0डी0 एफ0एस0टी0पी0 गाजियाबाद की स्थापना की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि conforming/non-conforming areas में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 एवं सी0ई0टी0पी0 के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुपालन आख्या यमुना मॉनीटरिंग कमेटी को प्रेषित की जा चुकी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए प्रश्नगत ड्रेन्स से यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण का निवारण किया जाए। यदि किसी परियोजना में टाइम लाईन का विस्तार वांछित हो तो संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी कराते हुए उचित आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर नॉन कन्फर्मिंग एरियास में अवैध रुप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें बन्द कराया जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3. **<u>ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य–</u>**

बैठक में ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न ड्रेन्स के टैपिंग के संबंध में की गयी अद्यतन कार्यवाही का विवरण शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु नीति बनायी जा चुकी है तथा कार्ययोजना विचाराधीन है। सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनायी जा चुकी है। अन्टैप्ड ड्रेन्स में बायो रेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन सम्बंधी प्रस्ताव हेतु फण्डिंग के लिये सम्बंधित जनपदों के निकायों की अनुमति न मिल पाने के कारण, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी में बायो रेमिडियेशन के कार्य को छोड़कर अन्य सभी अनटैप्ड ड्रेन्स में कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेग्मेंट–बी एवं फेज–2 के अनटैप्ड ड्रेन्स के प्रस्ताव एक माह के अन्दर तैयार कर लिये जायेंगे तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा जनपद बांदा, गाजियाबाद एवं कानपुर के पूर्व सूचित असंचालित तीनों एस0टी0पी0 संचालित हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद का एस0टी0पी0 संचालित है, मुरादाबाद स्थित एस0टी0पी0 सीवेज की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं हो सका हैं तथा फिरोजाबाद का एस0टी0पी0 नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा शीघ्र संचालित होना प्रस्तावित है।

फ्लड प्लेन जोन तथा ई–फ्लो से सम्बंधित बिन्दु पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेग्मेंट–बी, फेज–1 के लिये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है तथा फेज–2 हेतु केन्द्रीय भूजल

आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। गंगा नदी में ई–फ्लो मेन्टेन करने हेतु नियमित अन्तराल पर नरौरा एवं अन्य बांध से जल छोड़ा जा रहा है तथा रि–फ्लो नोटिफिकेशन का अनुपालन किया जा रहा है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पूर्व सूचित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर संशोधित समय–सीमा के लिये मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध कर लिया जाये। जिन प्रोजेक्ट्स के समय से पूर्ण न होने की स्थिति में जुर्माना जमा किया जाना है, उनके सम्बंध में औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से जुर्माना जमा करने से छूट हेतु अनुरोध कर लिया जाये। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा असंचालित एस0टी0पी0 के संचालित हो जाने सम्बंधी अद्यतन रिपोर्ट तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जाये। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने स्तर पर गहन समीक्षा अवश्य कर लें तथा परियोजना के कियान्वयन में लापरवाही पाये जाने पर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4. **<u>ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019: वॉटर पाल्यूशन बाई टैनरीज एट जाजमऊ, कानपुर उत्तर प्रदेश विद वॉटर पाल्यूशन एट रनिया, कानपुर देहात एण्ड राखी मंडी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–</u>**

बैठक में ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियॉ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बंध में उत्तरदायी विभाग यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये, परन्तु तीनों बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में नीरी नागपुर एवं चार प्रमुख आई0आई0टी0 से टेण्डर की शर्तों को शिथिल करने के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियॉ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, परन्तु कोविड–19 के कारण अन्य कैम्प आयोजित नहीं किये जा सके हैं। अंतिम हेल्थ सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कोविड–19 के कारण पूर्ण अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पायी है, परन्तु आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध कोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक चिकित्सकीय टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

कानपुर देहात स्थित कोमियम डम्प की दोषी इकाइयों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बंध में जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अद्यतन

स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी। जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि सभी दोषी उद्योगों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा इस कार्यवाही में यह ज्ञात हुआ कि वसूली नोटिस जारी होने के पूर्व ही अधिकांश उद्यमियों द्वारा जमीन बेची जा चुकी है। कुछ उद्यमियों की सम्पत्ति कानपुर नगर में है, इसलिये जिलाधिकारी, कानपुर नगर से वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया है। कानपुर देहात में स्थित एक उद्यमी की जमीन पर महाविद्यालय बनाया जा रहा है तथा जमीन सरकार के नाम दृष्टिबंधक है।

ओ0ए0 संख्या–986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण उ0प्र0 सरकार पर रूपये 10 करोड़ तथा उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा जाजमऊ में स्थापित एस0टी0पी0 का प्रभावी संचालन नहीं किये जाने एवं अशुद्धिकृत सीवेज को बाईपास कर गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण बोर्ड द्वारा भी उ0प्र0 जल निगम के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा द्वारा क्रोमियम डम्प के निस्तारण की कार्यवाही में अत्यंत विलम्ब किया गया है, जिसके दृष्टिगत यूपीसीडा द्वारा नीरी नागपुर तथा आई0आई0टी0 से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर टेण्डर आमंत्रित करते हुए भण्डारित क्रोमियम वेस्ट को हटाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अंतिम रिपोर्ट शीघ्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अपेक्षा की गयी कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को भी दोषी उद्योगों की सम्पत्ति से वसूली हेतु आर0सी0 स्थानान्तरित कर दी जाये। उद्यमी के महाविद्यालय की जो जमीन उ0प्र0 सरकार के नाम बंधक है, उसमें सेकेण्ड चार्ज के रूप में नियमानुसार पर्यावरण विभाग/जिलाधिकारी, कानपुर देहात का भी नाम दर्ज कराया जाय जिससे उ0प्र0 सरकार से भूमि बन्धक मुक्त होने के बाद यदि आर.सी. की धनराशि वसूली हेतु अवशेष रहती है तो इस सम्पत्ति से नियमानुसार वसूली की जा सके। उ0प्र0 जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,/नगर विकास विभाग, प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा/उ0प्र0 जल निगम एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात)

5. <u>ओ0ए0 संख्या–804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य–</u>

बैठक में ओ0ए0 संख्या–804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेट्स एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 प्रख्यापित हो जाने से पूर्व ही अनेक उद्योगों द्वारा अपने परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रभावी निस्तारण न किये जाने के कारण प्रदेश में 19 कन्टेमिनेटेड साइट एवं 22 प्रोबेबल कन्टेमिनेटेड साइट्स चिन्हित किये गये थे। इनके सम्बंध में बोर्ड द्वारा अद्यतन जांच करायी गयी, जिसके आधार पर 12 साइट्स में भूगर्भ जलगुणता कुप्रभावित न पाये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त 12 साइट्स को कन्टेमिनेटेड साइट्स की सूची से हटाने हेतु अनुरोध किया जा चुका

है। इसके अतिरिक्त 08 साइट्स के सम्बंध में यूपीसीडा से भूगर्भ जल गुणता सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इन सभी साइट्स के सम्बंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् गुणदोष के आधार पर भूगर्भ जल के रेमिडियेशन की कार्यवाही हेतु फण्डिंग की आवश्यकता होगी; जिसका प्रबन्ध दोषी उद्योग चिन्हित हो जाने की स्थिति में "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" के आधार पर उद्योगों से अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार से कराया जाना अपेक्षित होगा।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में श्रम विभाग, नगर विकास विभाग आदि से अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट अपेक्षित है।

यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में कन्टेमिनेटेड साइट्स के सम्बंध में जांच हेतु प्रभावी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करा लिया जाये तथा इस हेतु जो भी धन आवश्यक होगा, वह उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्रम विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट आज भेज दी गयी है।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा द्वारा उनके क्षेत्र से अपेक्षित जांच सम्बंधी कार्य सम्भव न हो पाने की स्थिति में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये। जिन क्षेत्रों में रेमिडियेशन का कार्य किया जाना है, उक्त हेतु दोषी उद्योगों को चिन्हित कर उनसे उक्त कार्य पूर्ण कराया जाये, अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग आदि द्वारा धन उपलब्ध कराते हुए कार्य कराया जाये। श्रम विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्रम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास तथा प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा)

6. <u>ओ0ए0 संख्या-330/2018 पार्क अवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत खुली ज़मीन/पार्क/हरित पट्टिका के विक्रय एवं अवैध प्लाटिंग के संबंध में प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में योजित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त की रोकथाम किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग विधि स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुये अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण करते हुए मास्टर प्लान के अनुसार हरित पट्टिका हेतु भूमि को रिक्त कराते हुए हरित पट्टिका को विकसित किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों/प्राधिकरणों में भी तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत विधिक व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

7. <u>ओ0ए0 संख्या 490/2019 डी0एस0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव,

6-

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो–रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित करने तथा सई नदी मे गिर रहे नालों की टैंपिंग कर एस0टी0पी0 से संयोजन करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराकर अनुमोदन हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली प्रेषित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा एस0टी0पी0 को संचालित कराया जाय। दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सहित तथा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बना कर मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाए।

(कार्यवाही –प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

8. **ओ0ए0 सं0 – 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0 – 437/2015–**

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 में प्रकरण दिनांक 17.12.2020 को नियत है।

1– इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ एवं केस्को लि0, कानपुर को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

अ. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

ब. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाय।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष ,उ0प्र0 पॉवर कार्पोशन के उक्त आदेश दिनांक 02.11.2020 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन)

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय भू–गर्भ जल प्राधिकरण के अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 के अनुसार किसी नये नलकूप की स्थापना बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के बिना नहीं होगी तथा भू–गर्भ जल के निकासी के विभिन्न प्रयोजनों के लिये दरें निर्धारित की गयी हैं। सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के बिना नये नलकूपों की स्थापना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिदोहित एवं क्रिटिकल नोटिफाइड एरियाज में भू–जल की निकासी करने वाले उद्योगों अथवा विस्तारीकरण की परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर में एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 में में प्रेषित की गयी है। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु प्रयास किया जाये एवं तद्नुसार मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सी0ई0टी0पी0 की स्थापना सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5– नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट के सम्बन्ध में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम द्वारा शेष चिन्हित भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी, गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र किया जाये। अग्रिम कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर)

6— नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन का कार्य दिनांक 15.12.2020 से प्रारम्भ हो जायेगा। रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन/फाईटो रेमिडेशन किये जाने तथा नालों को टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन औचित्य सहित मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नगर निगम, गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश जल, निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गोरखपुर)

7— गोमती नदी के कैचमेन्ट में स्थापित हो रहे एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं सीधे निस्तारित हो रहे नालों में तत्काल बायो रेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन आरम्भ कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा नगर आयुक्त, लखनऊ)

8— बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ को जमा किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अद्यतन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर)

9— तिहुरा नाले की सफाई एवं नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि तिहुरा नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका मेसर्स यश पैका लि0, दर्शन नगर, अयोध्या द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में दायर की गयी है। तिहुरा नाले के बन्धों को न हटाये जाने के सम्बन्ध में दूसरी याचिका शान्ति सिंह द्वारा दायर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नही किये गये हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर केस की शीघ्र पैरवी करायी जाय तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय अनुसार तिहुरा नाले की अद्यतन अनुपालन आख्या विलम्बतम एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही –जिलाधिकारी, अयोध्या)

9. <u>ओ0ए0 सं0 – 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन

का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें मासिक निर्धारित की गई हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइम लाइन में परियोजनाओं को पूर्ण नही किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के विरूद्ध पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा Thematic Areas पर तृतीय त्रैमासिक रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना दिनांक 30.11.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये–

1– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

2– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना 01 सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/लोक निर्माण/नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3– प्रदेश में लीगेसी वेस्ट के जी0आई0एस0 मैपिंग एवं आंकलन तथा लीगेसी वेस्ट स्थल पर भूगर्भीय जल का अनुश्रवण कराते सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में Thematic Areas पर माह दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति संबंधी सूचनाएं अद्यतन करते हुए दिनांक 07.01.2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को ई–मेल आई डी–(soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल आई डी–(ms@uppcb.com) पर प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /ग्राम्य विकास/ सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

10. **ओ0ए0 सं0 – 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश भी जारी किये गये थे। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2020 में निर्देशित किया गया है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन एवं शोधित उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के अनुपालन की स्थिति समय≤ पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसिटु रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निर्देश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों में निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर औचित्य सहित पुनर्विचार किये जाने तथा सीवेज शोधन एवं शोधित सीवेज के पुनः प्रयोग हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर मा0 अधिकरण मे शीघ्र दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11. **ओ0ए0 सं0 – 621/2018 महेन्द्र पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य**

:

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर पूर्व में अवैध रूप से स्थापित ई–वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा प्रोसेसिंग से जनित अपशिष्ट (ब्लैक पाउडर) के निस्तारण के सम्बन्ध में है। उक्त ब्लैक पाउडर को रामगंगा नदी के तट से हटा कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार जनपद–मुरादाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन साइट पर अस्थायी रूप से भण्डारित किया गया है। उक्त अस्थायी भण्डारित अपशिष्ट के अन्तिम निरतारण हेतु ब्लैक पाउडर को वेस्ट प्रोसेसिंग साइट से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) में प्रेषित किया जाना है। उक्त प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 का संचालन माह फरवरी, 2021 में प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को संकलित करते हुए मा0 अधिकरण में कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित की जा चुकी है। सिंचाई विभाग, मुरादाबाद द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर को अस्थायी भण्डारित स्थल से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 तक ले जाने हेतु आने वाले व्यय का आंकलन लगभग रू 96 लाख आंकलित किया गया है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लैक पाउडर के निस्तारण हेतु पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक

11–

दिनांक 26.09.2018 में निम्न 04 विकल्पों पर विचार–विमर्श किया गया :–

विकल्प 1	जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा ग्राम फाजलपुर, तहसील सदर मुरादाबाद में चिन्हित 5.5 एकड़ भूमि पर Secured Landfill Site का निर्माण कर रामगंगा नदी के तट पर निस्तारित ब्लैक पाउडर को निस्तारित किया जाना।
विकल्प 2	नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में विकसित लैंडफिल साइट में अस्थायी रूप से ब्लैक पाउडर का सुरक्षित भण्डारण किया जाना।
विकल्प 3	ब्लैक पाउडर का निस्तारण प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 से कराया जाना।
विकल्प 4	अमरोहा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 के संचालन के उपरांत ब्लैक पाउडर का स्थाई निस्तारण।

उक्त बैठक दिनांक 26.09.2018 में विचार–विमर्श के उपरान्त विकल्प सं0–1, 2, 3 पर वैज्ञानिक/वाणिज्यिक फिजीबिलिटी न होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर का निस्तारण जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अद्यतन बैठक दिनांक 02.12.2020 में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1– जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों की एक अंतर्विभागीय समिति बनाकर अस्थायी रूप से भण्डारित ब्लैक पाउडर को स्थल पर ही मानको के अनुरूप निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय एवं तकनीकी आंकलन करते हुए आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी, मुरादाबाद)

2– पूर्व में रामगंगा नदी के तट पर ब्लैक पाउडर निस्तारित करने वाले दोषियों की पहचान किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग मुरादाबाद, नगर निगम मुरादाबाद, महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की संयुक्त समिति द्वारा 10 दिन के अन्दर की जाए।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, नगर निगम, मुरादाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद)

3– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर के परिवहन एवं मानकों के अनुरूप निस्तारण में होने वाले व्यय का आंकलन करते हुए रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए तथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

4– उक्त ब्लैक पाउडर का सुरक्षित स्थायी निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यय का वहन बॉड ओनर्स के Extended Producer Responsibility के अंतर्गत कराये जाने की सम्भावना के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही – सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

12. <u>ओ0ए0 संख्या–681/2018</u> News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15"

1– बैठक में उ0प्र0 राज्य के अंतर्गत नॉन अटेनमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यो की प्रगति एवं

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 नॉन अटेंमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजनाओं का कियान्वयन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दो शहरों यथा मेरठ एवं गोरखपुर को भी नॉन अटेनमेंट शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरठ की कार्ययोजना का निरूपण कर उसे अनुमोदनार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा गोरखपुर की कार्ययोजना का निरूपण का कार्य वर्तमान में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर से सूचनायें इत्यादि प्राप्त कर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा निम्न निर्णय लिये गये:—

1— गोरखपुर की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के निरूपण हेतु समस्त वांछित सूचनाये एक सप्ताह के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाय।

(कार्यवाही — जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर)

2— वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विकसित समीर एप एवं स्वच्छ वायु एप पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित विभागों द्वारा 01 सप्ताह के अन्दर शिकायतों का निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही— नगर आयुक्त, गाजियाबाद, सी0ई0ओ0,नोएडा एथॉरिटी, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एंव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ)

3— लीगेसी वेस्ट का निस्तारण एवं उ0प्र0 में लीगेसी वेस्ट की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही — प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4— बैठक के दौरान 500 से अधिक ए0क्यू0आई0 आने की दशा में पर्यावरणीय इमरजेंसी को आपदा के रूप में सम्मिलित कर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम विकसित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण एवं पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से भी दिशा—निर्देश प्राप्त कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जाय तथा आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

5— मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये कि ओवरसाइट समिति की संस्तुतियों का अनुपालन संबंधित विभागों से सुनिश्चित कराया जाये। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को ओवरसाइट समिति की रिपोर्ट के बिंदुओं पर अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6— माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के संबंध में गृह विभाग पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें तथा विलम्बतम दिनांक 15.12.2020 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग)

3– उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त वादों के संबंध में निम्न कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये :–

1– उक्त समस्त वादो में सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई–मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.com पर दिनांक 15.12.2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2– जिन कार्यों में टाइमलाईन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुयी है तथा उनमें यदि अनुचित विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई–मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाय।

3– जिन कार्यों में विलम्ब औचित्यपूर्ण है उनमें औचित्य के साथ टाइमलाईन एक्सटेंशन एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की माफी हेतु प्रार्थना पत्र मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल करायें तथा उसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर उचित आदेश प्राप्त किया जाय।

4– सभी संबंधित विभागों द्वारा या तो मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन करें, और यदि विभाग को आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो मा0 एन0जी0टी0 अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुरोध करके आदेशों में आवश्यक संशोधन करा लें।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

Digitally signed by सुधीर गर्ग
Date:Fri Dec 11 11:29:29 IST 2020
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7

संख्या– N.G.T-645/81–7–2020–44(रिट)/2016 टी.सी.–2

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि/पंचायती राज/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/परिवहन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/खाद्य एवं रसद/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन/ भूतत्व एवं खनिकर्म/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/मुरादाबाद/गाजियाबाद/अयोध्या।

4– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।

5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

6– निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।

7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।

9– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

10– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

15-

E-mail- ceganga_upjn@yahoo.in

Annexure-3

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय – 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या – 65 /022– 231–2014/2021 दिनांक–23.01.2021

सेवा में,

श्री ए0एन0 बाजपेई,
(पी0पी0एस0)
मा0 सदस्य, ओवर साइट कमेटी,
एन0जी0टी0, यू0पी0
लखनऊ –226010

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सख्या 231/2014 "दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने ई–मेल दिनांक 20.01.2021 (अपरान्ह 03:33 बजे) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सख्या 231/2014 "दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेन्डा बिन्दुओं को संलग्न करते हुए दिनांक 27.01.2021 को निर्धारित बैठक में प्रतिभाग किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में ओ0ए0 सख्या 231/2014 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक 250/एन0जी0टी0 दिनांक 23.01.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी एजेन्डा बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
23/1/21
(सुशील कुमार पटेल)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

पृ.सं. एवम् दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

NGT MD Letters 231-2014

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य अभियंता (गा0 क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम, गाजियाबाद

पत्रांक : 250 / NGT दिनांक: 23/1/2021

सेवा में,

मुख्य अभियंता (गंगा),
उ0प्र0 जल निगम
लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण में योजित ओ0 ए0 संख्या- 231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0 ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में ऑवर साइट कमेटी, एन0जी0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तावित बैठक हेतु दिये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
23.1.21
(सर्वेश कुमार)
मुख्य अभियंता (गा0 क्षेत्र)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (गा0 क्षेत्र)

Scanned with CamScanner

Reply on Points of Discussion in OA 231/2014 "Doaba Paryawaran Samiti vs. State of Uttar Pradesh" for meeting of Oversight Committee, NGT, UP, Lucknow scheduled on 27.01.2021 at 11:00 am through V/C

<table>
<tr><th>Sl. No</th><th>Points of Discussion</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>1</td><td>What has been the progress in ensuring piped water supply in 148 Villages of the area? Specify the number of Villages where in the water connection has been provided?</td><td>All 148 villages (147 Villages + Harra TAC) have been covered with piped water supply by direct pumping.
<u>Note:-</u>
In 23 Villages water supply is being done through direct pumping by D.G. set as power connection is still awaited from power supply agency.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>What is the status of Piped water supply in village Harra Town?</td><td>In Harra TAC, partially pipe water supply by direct Pumping has been started and rest of the work is in progress, it will be fully covered by direct pumping by dt. 31.03.2021.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>How many drains are still untapped in the region?</td><td>From Saharanpur To Ghaziabad, drains from Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Ghaziabad & Gautambudh Nagar meets in River Hindon where as drains from Meerut meets in River Kali–East and drains from Baghpat meets in River Yamuna. The treatment of drains in Gautambudh Nagar is in Jurisdiction of Noida Authority. Thus, in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli and Ghaziabad, there are total 133 drains present in the stretch of Hindon. The status of I & D of these drains is as follows:
<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Description</th><th>No.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tapped Drains</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Partially tapped</td><td>05</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Not required tapping</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Industrial Drains</td><td>03</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub-Total</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Untapped Drains Status-</td><td></td></tr>
<tr><td>a</td><td>To be tapped in on-going project</td><td>11</td></tr>
<tr><td>b</td><td>To be tapped in PFR/DPR submitted for approval to SMCG/NMCG</td><td>102</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub-Total</td><td>113</td></tr>
<tr><td></td><td>Grand Total</td><td>133</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>If untapped, then has any interim measure taken place ?</td><td>Not related to UPJN.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>What is the provision of imposing EC on untapped drains? Has any such action taken till date in this region?</td><td>Not related to UPJN.</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

Sl. No	Points of Discussion	Reply
5	It was directed to immediately start bioremediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains for the treatment of sewage gap in river Hindon and UPPCB to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days. What has been the progress so far?	Not related to UPJN.
6	In the meeting dated 21.07.2020, UP. Jal Nigam informed that tenders have been finalized for STP in Muzaffarnagar and Budhana and within 24 months they aim to complete the work. In case of Saharanpur, DPR has been submitted and approval from NMCG is awaited. What is the progress so far?	In Muzaffarnagar and Budhana STPs, works are under progress (overall progress 5% each). Likely to be completed by 06/2022. DPR for I&D and STP works at Saharanpur was submitted to NMCG, New Delhi vide letter no. 526/06-612T/SMCG-UP/01 dated 08.06.2020. Observations on DPR were received from NMCG vide their letter no. Pr/22012/8/2020-Tech Construction NMCG dated 15.12.2020. The DPR is being revised by WAPCOS (appointed by NMCG) and is likely to be submitted by 28.02.2021 after incorporating the raised observations.
7	The issue of STPs is lingering on from last many days, any action taken against the erring officers?	———
8	How much EC has been imposed and realized till date from the defaulting units in the area?	Not related to UPJN.

23/01/2021
(Devendra Kumar)
Dy. Sec. (co-ordination)

23.01.21
(Sarvesh Kumar)
Chief Engineer (Gzb Zone)

Scanned with CamScanner

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 5732922/सी–4/RRC-II/2020 दिनांक– 16-6-2020

सेवा में,

मानीय एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
प्लाट नं0– 18, सेक्टर–7,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय :– मानीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0– 593/2017 एवं ओ0ए0 सं0– 148/2016 में पारित आदेश दिनांक– 21.05.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक मानीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0– 593/2017, पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक– 21.05.20 के बिन्दु सं0–15 के अंश जिसका विवरण निम्नवत् है, का अवलोकन करने का कष्ट करें :–

"........8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.

मानीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0– 673/2018 में पारित आदेश दिनांक– 06.12.2019 के अनुसार ऐसी समस्त अनटैप्ड ड्रेन्स को दिनांक– 31.03.2020 से पूर्व इन–सीटू उपचार हेतु आदेश पारित किया गया था किन्तु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रदेश स्थित 12 प्रदूषित नदी खण्डों में कुल 324 ड्रेन चिन्हित है, जिनमें 35 टैप्ड, 25 आंशिक रूप से टैप्ड एवं 264 ड्रेन बिना टैपिंग के प्रदूषित प्रवाह के साथ नदियों में मिल रही है, जिन पर किसी प्रकार का इन–सीटू बायोरैमिडिऐशन/उपचार का कार्य नही किया जा रहा है।

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

12 प्रदूषित नदी के खण्डों में मिलने वाली अनटैप्ड, आंशिक टैप्ड ड्रेन्स की सूंची पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के अनुक्रम में माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0– 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 21.05.2020 पैरा–13 भी आपके संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

"..........13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020 and 01.04.2021 may be read as 01.07.2021. Further reports may be taken by the CPCB from all the State PCBs/PCCs as per the system evolved by the CPCB from time to time.

उपरोक्त परिस्थिति में यदि दिनांक– 30.06.2020 तक पत्र के साथ संलग्न सूंची के अनुसार 289 ड्रेन्स पर इन–सीटू बायोरैमिडिऐशन/उपचार का कार्य नही किया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0– 673/2018 में पारित आदेश दिनांक– 06.12.2019 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह रूपये– 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ड्रेन से सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक– 01.07.2020 से देय होगा।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा– 33 ए के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि संलग्न अनटैप्ड/आंशिक टैप्ड ड्रेन की सूंची से सम्बन्धित स्थानीय निकायों को चिन्हित कर उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा निर्धारित समय तक अनुपालन न किये जाने की स्थिति में उक्त वर्णित दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0– 701502010002104, IFSC Code- UBINO570150 में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें। उपरोक्त प्रकरण पर माननीय एन0जी0टी0, (ओ0ए0 सं0– 673/2018) नई दिल्ली में अगली सुनवाई दिनांक– 22.06.2020 को नियत है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/6/2020 सदस्य सचिव

Details of Untapped/Partially Tapped Drain in catchment area of 12 polluted stretches of River in U.P.

S. No.	Name of River	District	Name of Drain	Tapped/ Untapped/ Partially Tapped
1	Hindon	Saharanpur	Dhamola Drain	Untapped
2	Hindon	Saharanpur	Star Paper Mill Drain	Untapped
3	Hindon	Saharanpur	Bajaj Sugar Drain	Untapped
4	Hindon	Saharanpur	Daya Sugar Drain	Untapped
5	Hindon	Saharanpur	Thaska Drain	Untapped
6	Hindon	Saharanpur	Nagdehi Drain	Untapped
7	Hindon	Saharanpur	Badhai Khurd Drain	Untapped
8	Hindon	Muzaffarnagar	Titawi Drain	Untapped
9	Hindon	Muzaffarnagar	Dhandhera Drain	Untapped
10	Hindon	Muzaffarnagar	Mansurpur Drain	Untapped
11	Hindon	Muzaffarnagar	Nyajipur Drain	Untapped
12	Hindon	Muzaffarnagar	Shamli Road Drain	Untapped
13	Hindon	Muzaffarnagar	Khadarwala Drain	Untapped
14	Hindon	Muzaffarnagar	Krishnapuri Drain	Untapped
15	Hindon	Muzaffarnagar	Suzru Village Drain	Untapped
16	Hindon	Muzaffarnagar	Nai Basti Khalapar Drain	Untapped
17	Hindon	Shamli	Shamli Drain	Untapped
18	Hindon	Shamli	Sikka Drain	Untapped
19	Hindon	Ghaziabad	Jawali Drain	Untapped
20	Hindon	Ghaziabad	Hindonvihar Drain	Untapped
21	Hindon	Ghaziabad	kailabhatta road drain	Untapped
22	Hindon	Ghaziabad	Arthala Drain	Untapped
23	Hindon	Ghaziabad	Indirapuram Drain	Untapped
24	Hindon	Ghaziabad	PratapVihar Drain	Untapped
25	Hindon	Ghaziabad	Dasna Drain	Untapped
26	Hindon	Ghaziabad	Karedha Drain	Untapped
27	Hindon	Meerut	Sardhana Drain	Untapped
28	Hindon	Meerut	Kinauni Drain	Untapped
29	Hindon	Meerut	Ramala Drain	Untapped
30	Kali (East)	Muzaffarnagar	Khatauli Drain	Untapped
31	Kali (East)	Meerut	Abu Nala Drain-1	Untapped
32	Kali (East)	Meerut	Abu Nala Drain-2	Untapped
33	Kali (East)	Meerut	Odean Drain	Untapped
34	Kali (East)	Meerut	Chhoiya Drain Meeting in Hapur	Untapped
35	Kali (East)	Modi Nagar, Meerut & Hapur	Khadauli Drain/ Kadrabad Drain	Untapped
36	Kali (East)	Hapur	Hapur Drain	Untapped
37	Kali (East)	Hapur	Hapur Drain – 1 (City Drain)	Untapped
38	Kali (East)	Bulandshahar	Gulaothi Drain	Untapped
39	Varuna	Varanasi	Central Jail Drain	Untapped
40	Varuna	Varanasi	Ordaly Bazar Drain	Untapped
41	Varuna	Varanasi	Chamrotha Drain	Untapped
42	Varuna	Varanasi	Khajuri Colony Drain	Untapped
43	Varuna	Varanasi	Banaras Drain No. 5	Untapped
44	Varuna	Varanasi	Hukulganj Drain	Untapped
45	Varuna	Varanasi	NaiBasti Drain	Untapped
46	Varuna	Varanasi	Narokhar Drain	Untapped
47	Yamuna	G.B. Nagar	Shahadara Drain	Untapped
48	Yamuna	G.B. Nagar	Kondli/Noida Drain	Untapped
49	Yamuna	Bulandshahr	Nizampur Drain	Untapped
50	Yamuna	Bulandshahr	Khurja Drain, Vill: Kila	Untapped

51	Yamuna	Aligarh	Aligarh Drain	Untapped
52	Yamuna	Aligarh	Chherrat/Lehtoi Drain	Untapped
53	Yamuna	Hathras	Aligarh-Hathras Drain	Untapped
54	Yamuna	Mathura	Kosi Arterian Drain	Untapped
55	Yamuna	Mathura	Aurangabad Drain	Untapped
56	Yamuna	Mathura	Refinery Drain	Untapped
57	Yamuna	Agra	TAJ EAST DRAIN/ Kholahi Nala	Untapped
58	Yamuna	Firozabad	Naya Bans, Firozabad	Untapped
59	Yamuna	Firozabad	Ant Ki Madiya, Firozabad	Untapped
60	Yamuna	Etawah	Jharna Nala, Etawah	Untapped
61	Yamuna	Kalpi	Rayda diara Nala	Untapped
62	Yamuna	Hamirpur	Pataleshwar Nala	Untapped
63	Yamuna	Rajapur, Chitrakoot	Bekal Baba Nala	Untapped
64	Gomti	Sitapur	Minor Sharda Canal	Untapped
65	Gomti	Sitapur	Garra Nala	Untapped
66	Gomti	Lucknow	Sahara City Nala (Flood Pumping Station-Barrel no-2)	Untapped
67	Gomti	Lucknow	Bairikala	Untapped
68	Gomti	Lucknow	Ghaila	Untapped
69	Gomti	Lucknow	Faizullahganj-U/S	Untapped
70	Gomti	Lucknow	Faizullahganj-D/S	Untapped
71	Gomti	Lucknow	Gomti Nagar Dain	Untapped
72	Gomti	Lucknow	Gomti Nagar Extension	Untapped
73	Gomti	Unnao	Loni Drain	Untapped
74	Gomti	Hardoi	Behta Drain	Untapped
75	Gomti	Barabanki	Jamuria Drain	Untapped
76	Gomti	Barabanki	Reth River	Untapped
77	Gomti	Amethi	Industrial Drain (Kadu Nala), Jagdishpur	Untapped
78	Gomti	Sultanpur	Karaudiya Nala	Untapped
79	Gomti	Sultanpur	Amahat Nala	Untapped
80	Gomti	Sultanpur	Gabriya Nala	Untapped
81	Gomti	Sultanpur	Jamuriya/Chini Mill Nala	Untapped
82	Gomti	Jaunpur	MUFTI MOHALLA DRAIN	Untapped
83	Gomti	Jaunpur	MALUANTOLA DRAIN	Untapped
84	Gomti	Jaunpur	TURTIPUR DRAIN	Untapped
85	Gomti	Jaunpur	HANUMAN GHAT DRAIN	Untapped
86	Gomti	Jaunpur	QUILA MOHALLA DRAIN	Untapped
87	Gomti	Jaunpur	BALUA GHAT DRAIN	Untapped
88	Gomti	Jaunpur	RASMANDAL DRAIN	Untapped
89	Gomti	Jaunpur	ACHALA DRAIN	Untapped
90	Gomti	Jaunpur	KATGHAR DRAIN	Untapped
91	Gomti	Jaunpur	JOGIAPUR DRAIN	Untapped
92	Gomti	Jaunpur	MIYA PUR DRAIN	Untapped
93	Gomti	Jaunpur	HARAIPUR DRAIN	Untapped
94	Gomti	Jaunpur	SEKHUPUR DRAIN	Untapped
95	Gomti	Jaunpur	AHYAPUR DRAIN	Untapped
96	Gomti	Jaunpur	SIPAH MOHALLA DRAIN	Untapped
97	Gomti	Jaunpur	NAU GHAT DRAIN	Untapped
98	Gomti	Jaunpur	RAVIDASH GHAT DRAIN	Untapped
99	Gomti	Jaunpur	RAMESHWAR GHAT DRAIN	Untapped
100	Gomti	Jaunpur	NARHAN KHAN CHURAHA DRAIN	Untapped
101	Gomti	Jaunpur	CHANDWAK GHAT DRAIN	Untapped

2	Gomti	Jaunpur	BALUA GHAT DRAIN	Untapped
103	Ganga	Unnao	Gangavishnu Drain, Shuklaganj	Untapped
104	Ganga	Unnao	Indira Nagar Drain, Shuklaganj,	Untapped
105	Ganga	Unnao	Ravidas Nagar Drain (Tar Drain), Shuklaganj,	Untapped
106	Ganga	Unnao	Manohar Nagar/Dwivedi Nagar, Drain, Shuklaganj	Untapped
107	Ganga	Unnao	City Jail Drain, Unnao	Untapped
108	Ganga	Unnao	Loni Drain, Unnao	Untapped
109	Ganga	Kanpur Nagar	Kalwarighat nala	Untapped
110	Ganga	Kanpur Nagar	Laxman ghat nala	Untapped
111	Ganga	Kanpur Nagar	Brahmavarta ghat nala	Untapped
112	Ganga	Kanpur Nagar	Gudara Ghat Nala	Untapped
113	Ganga	Kanpur Nagar	Peswa Ghat Nala	Untapped
114	Ganga	Kanpur Nagar	Luvkush Ghat Nala	Untapped
115	Ganga	Kanpur Nagar	Bhunni Nala	Untapped
116	Ganga	Kanpur Nagar	ICI Drain	Untapped
117	Ganga	Kanpur Nagar	Ganda nala	Untapped
118	Ganga	Kanpur Nagar	Panki Thermal power	Untapped
119	Ganga	Kanpur Nagar	Ratanpur	Untapped
120	Ganga	Kanpur Nagar	Dabka nala	Untapped
121	Ganga	Kanpur Nagar	Satti chaura	Untapped
122	Ganga	Kanpur Nagar	Golaghat nala	Untapped
123	Ganga	Kanpur Nagar	Guptar ghat nala	Untapped
124	Ganga	Kanpur Nagar	Parmiya nala	Untapped
125	Ganga	Kanpur Nagar	Drain no.1 (NIF)	Untapped
126	Ganga	Kanpur Nagar	Drain no.2 (Bhawanipur)	Untapped
127	Ganga	Raebareli	Sadak Ghat drain	Untapped
128	Ganga	Raebareli	Pathwari ghatdrain	Untapped
129	Ganga	Raebareli	Shukla ghat drain	Untapped
130	Ganga	Raebareli	Baruda ghat drain	Untapped
131	Ganga	Raebareli	Padva drain	Untapped
132	Ganga	Pratapgarh	Pakka ghat drain	Untapped
133	Ganga	Pratapgarh	Primary school drain	Untapped
134	Ganga	Pratapgarh	Mallahan tola drain	Untapped
135	Ganga	Pratapgarh	Ganda Nala Baraipur drain, Kunda	Untapped
136	Ganga	Pratapgarh	Ganda Nala Raiyapur drain, Kunda	Untapped
137	Ganga	Prayagraj	Loteharan Drain	Untapped
138	Ganga	Prayagraj	Nehru Park Drain	Untapped
139	Ganga	Prayagraj	Unchwagadhi Drain-01	Untapped
140	Ganga	Prayagraj	Unchwagadhi Drain-02	Untapped
141	Ganga	Prayagraj	Beli Gaon Drain	Untapped
142	Ganga	Prayagraj	ADA Colony Drain	Untapped
143	Ganga	Prayagraj	Shankar Ghat Colony Drain-1	Untapped
144	Ganga	Prayagraj	Shankar Ghat Colony Drain-2	Untapped
145	Ganga	Prayagraj	Jondhwal Ghat Colony Drain	Untapped
146	Ganga	Prayagraj	Old G.T. Road Drain	Untapped
147	Ganga	Prayagraj	Savitri Nagar Drain	Untapped
148	Ganga	Prayagraj	Savitri Nagar Bazar Drain	Untapped
149	Ganga	Prayagraj	Kriyayog Ashram Drain	Untapped
150	Ganga	Prayagraj	Primary School Ulta Kila Drain	Untapped

151	Ganga	Prayagraj	Lakadia Drain	Untapped
152	Ganga	Prayagraj	Muirabad (Ganesh Nagar) Drain	Untapped
153	Ganga	Prayagraj	Naya Purwa Drain	Untapped
154	Ganga	Prayagraj	Shivkuti Drain No.-1	Untapped
155	Ganga	Prayagraj	Shivkuti Drain No.-2	Untapped
156	Ganga	Prayagraj	Shivkuti Drain No.-3	Untapped
157	Ganga	Prayagraj	Shivkuti Drain No.-5	Untapped
158	Ganga	Prayagraj	Shivkuti Drain No.-6	Untapped
159	Ganga	Prayagraj	Rajapur Drain	Untapped
160	Ganga	Prayagraj	TV Tower Drain	Untapped
161	Ganga	Prayagraj	Sadar Bazar Drain	Untapped
162	Ganga	Prayagraj	Co-operative Drain	Untapped
163	Ganga	Prayagraj	Indira Awas Drain	Untapped
164	Ganga	Prayagraj	Shantipuram Drain	Untapped
165	Ganga	Prayagraj	Basna Drain	Untapped
166	Ganga	Mirzapur	Kashi Ram Drain	Untapped
167	Ganga	Mirzapur	Irrigation colony drain	Untapped
168	Ganga	Mirzapur	District judge Nala	Untapped
169	Ganga	Mirzapur	Ghode sahid drain	Untapped
170	Ganga	Mirzapur	Tambalganj	Untapped
171	Ganga	Mirzapur	Barahmillah drain	Untapped
172	Ganga	Mirzapur	Chorwa Drain	Untapped
173	Ganga	Mirzapur	Balu ghat kachcha Drain	Untapped
174	Ganga	Mirzapur	Chaura mata drain	Untapped
175	Ganga	Mirzapur	Public club drain	Untapped
176	Ganga	Mirzapur	Morcha ghar drain	Untapped
177	Ganga	Mirzapur	Hanuman drain	Untapped
178	Ganga	Mirzapur	Konia drain	Untapped
179	Ganga	Mirzapur	Diwan drain	Untapped
180	Ganga	Mirzapur	Malhiaya Drain	Untapped
181	Ganga	Mirzapur	Bala JI Temple	Untapped
182	Ganga	Mirzapur	Bisundapur Drain	Untapped
183	Ganga	Varanasi	Nakkhi Drain	Untapped
184	Ganga	Varanasi	Assi / Nagwa Drain	Untapped
185	Ganga	Varanasi	Samneghat Drain	Untapped
186	Ramganga	Moradabad	Jama masjid(L)	Untapped
187	Ramganga	Moradabad	Barbalan	Untapped
188	Ramganga	Moradabad	Karula	Untapped
189	Ramganga	Moradabad	Kudaghar	Untapped
190	Ramganga	Moradabad	Jama masjid (R)	Untapped
191	Ramganga	Moradabad	Ghosiyan	Untapped
192	Ramganga	Moradabad	MIT	Untapped
193	Ramganga	Moradabad	Nawabpura-1	Untapped
194	Ramganga	Moradabad	Nawabpura-2	Untapped
195	Ramganga	Moradabad	TDI City	Untapped
196	Ramganga	Moradabad	Mokshdham	Untapped
197	Ramganga	Moradabad	Vivekanand (L)	Untapped
198	Ramganga	Moradabad	Vivekanand (R)	Untapped
199	Ramganga	Moradabad	Chakkar ki milak	Untapped
200	Ramganga	Moradabad	Jigar Colony	Untapped
201	Ramganga	Moradabad	Lal Bagh	Untapped
202	Ramganga	Moradabad	Daheria	Untapped
203	Ramganga	Moradabad	Jhabbu Ka Nala	Untapped
204	Ramganga	Moradabad	Chandausi Road (L)	Untapped
205	Ramganga	Moradabad	Chandausi Road (R)	Untapped
206	Ramganga	Moradabad	Delhi Road (L)	Untapped
207	Ramganga	Moradabad	Delhi Road (R)	Untapped
208	Ramganga	Rampur	Rampur Drain	Untapped

[illegible]9	Ramganga	Bareilly	Nakatiya Drain	Untapped
210	Ramganga	Bareilly	Deveraniya Drain	Untapped
211	Ramganga	Bareilly	Chaubari Drain	Untapped
212	Betwa	Jhansi	Parichha Drain	Untapped
213	Betwa	Hamirpur	Ramedi Nala	Untapped
214	Ghaghara	Gorakhpur	KanoongoGhat drain near LaxmiNarainMandir, Barhalganj	Untapped
215	Ghaghara	Gorakhpur	Drain in the down steam of kanoongoghat and up steam of TarkulahiGhat.	Untapped
216	Ghaghara	Gorakhpur	TarkulahiGhat Drain.	Untapped
217	Ghaghara	Gorakhpur	Badhanpura Drain near Mukti Path	Untapped
218	Ghaghara	Mau	KhatikTola drain	Untapped
219	Ghaghara	Mau	MallahTola drain	Untapped
220	Ghaghara	Mau	Tiwaripur drain	Untapped
221	Ghaghara	Deoria	Ravi Das Ghat Nalla	Untapped
222	Ghaghara	Deoria	Sabji Mandi Nalla	Untapped
223	Rapti	Gorakhpur	Basia Dih Drain	Untapped
224	Rapti	Gorakhpur	Netaji Subhas Chandra Bose Colony Drains	Untapped
225	Rapti	Gorakhpur	Stepping Stone School	Untapped
226	Rapti	Gorakhpur	Green City Colony Phase-2 Drain	Untapped
227	Rapti	Gorakhpur	Bargdwa Drain	Untapped
228	Rapti	Gorakhpur	Maheshra-Mohripur Drain	Untapped
229	Rapti	Gorakhpur	Domingarh Drain	Untapped
230	Rapti	Gorakhpur	Bahrampur Drain	Untapped
231	Rapti	Gorakhpur	Ilahibagh Drain	Untapped
232	Rapti	Gorakhpur	Mirzapur Drain	Untapped
233	Rapti	Gorakhpur	Ghasiyari Tola Drain	Untapped
234	Rapti	Gorakhpur	Basantpur Drain	Untapped
235	Rapti	Gorakhpur	Hasunpur Drain	Untapped
236	Rapti	Gorakhpur	Transport Nagar Drain	Untapped
237	Rapti	Gorakhpur	Katniya/Mahewa Drain	Untapped
238	Sai	Raebareli	Drain at Lohanipur	Untapped
239	Sai	Raebareli	Rajghat Nala	Untapped
240	Sai	Raebareli	Indiranagar Nala	Untapped
241	Sai	Raebareli	UPSIDC Drain	Untapped
242	Sai	Raebareli	Baheta Drain	Untapped
243	Sai	Pratapgarh	City Drain	Untapped
244	Saryu	Ayodhya	GuptarGhat/NirmaliKund Drain	Untapped
245	Saryu	Ayodhya	Dhara Road/Kakarahi Bazar Drain	Untapped
246	Saryu	Ayodhya	Rath Haveli Drain/Khurdabad- A Drain	Untapped
247	Saryu	Ayodhya	Rath Haveli Drain/Khurdabad- B Drain	Untapped
248	Saryu	Ayodhya	Rath Haveli Drain/Khurdabad- C Drain	Untapped
249	Saryu	Ayodhya	Bahadurganj Drain	Untapped
250	Saryu	Ayodhya	Bahadurganj/ PathanToliya-A Drain	Untapped

251	Saryu	Ayodhya	Bahadurganj/ PathanToliya-B Drain	Untapped
252	Saryu	Ayodhya	Bahadurganj/ PathanToliya-C Drain	Untapped
253	Saryu	Ayodhya	Awadhpuri Colony/Mahtabbad- A Drain	Untapped
254	Saryu	Ayodhya	Awadhpuri Colony/Mahtabbad- B Drain	Untapped
255	Saryu	Ayodhya	RajghatNala	Untapped
256	Saryu	Ayodhya	Godiyana drain	Untapped
257	Saryu	Ayodhya	Golaghat-1	Untapped
258	Saryu	Ayodhya	Golaghat-B	Untapped
259	Saryu	Ayodhya	Rinmochanghat drain	Untapped
260	Saryu	Ayodhya	Tilahiya Drain	Untapped
261	Saryu	Ayodhya	Tihura Drain	Untapped
262	Saryu	Ambedkarnagar	Ishwer Nagar Drain	Untapped
263	Saryu	Ambedkarnagar	Azad Nagar Drain	Untapped
264	Saryu	Ambedkarnagar	Ansarganj Drain	Untapped
265	Hindon	Muzaffarnagar	Laddawala Drain	Partially Tapped
266	Hindon	Ghaziabad	Sahibabad Drain	Partially Tapped
267	Yamuna	Mathura	Masani Drain	Partially Tapped
268	Yamuna	Mathura	Mahadev Ghat (Sadar Bazar Drain)	Partially Tapped
269	Yamuna	Mathura	Ambakhar Drain	Partially Tapped
270	Yamuna	Mathura	Goverdhan Drain	Partially Tapped
271	Yamuna	Agra	MANTOLA DRAIN	Partially tapped
272	Yamuna	Agra	WATER WORKS DRAIN	Partially tapped
273	Yamuna	Agra	BHAIRO NALA	Partially tapped
274	Yamuna	Agra	Nagla Budhi Nala	Partially Tapped
275	Gomti	Lucknow	Nagaria Nala	Partially Tapped
276	Gomti	Lucknow	Sarkata Nala	Partially Tapped
277	Gomti	Lucknow	Pata Nala	Partially Tapped
278	Gomti	Lucknow	Wazirganj Nala	Partially Tapped
279	Gomti	Lucknow	Ghasiyani mandi Nala	Partially Tapped
280	Gomti	Lucknow	Mahesh Ganj Nala	Partially Tapped
281	Gomti	Lucknow	Mohan Meakins Nala	Partially Tapped
282	Gomti	Lucknow	Daliganj-1 Nala	Partially Tapped
283	Gomti	Lucknow	Kukrail Nala+Sewer	Partially Tapped
284	Gomti	Lucknow	GH Canal Nala	Partially Tapped
285	Ganga	Kanpur Nagar	Halwakhand nala	Partially Tapped
286	Ganga	Kanpur Nagar	Ranighat nala	Partially Tapped
287	Ramganga	Moradabad	Katghar	Partially tapped
288	Ramganga	Moradabad	Prabhat Market	Partially tapped
289	Betwa	Jhansi	Babedi Nala	Partially tapped